संं0-46/2017/2634/52-3-2015-रिट(12)/10 टी.सी.

प्रेषक,

मो0 शफ्कत कमाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 19 नवम्बर, 2015**

विषयः-मा0 उच्च न्यायालय से आच्छादित 02 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं01481/अ.स.क.नि./रिट-4364/2015, दिनांक 27.07.2015, सं0 1499/अ.स.क.नि./मद.अनु/2015, दिनांक 28.07.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका सं04364 (एम/एस)/2010 व रिट याचिका सं0 4365(एम/एस)/2010-प्रबन्ध समिति इरम एजूकेशनल सोसाइटी बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2013 के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.सं	मदरसे का नाम
1	मदरसा इरम माडल स्कूल अकबरनगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ
2	मदरसा इरम माडल निस्वां स्कूल, चैपटिया, लखनऊ

2- अनुदानित किए जाने वाले उक्त मदरसों को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान सूची पर लिये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. मदरसों द्वारा शिक्षा संहिता के नियमों का पालन किया जायेगा।
2. मदरसों द्वारा शिक्षा संहिता के अनुदान से संबंधित सभी शर्तों का पालन किया जायेगा।
3. मदरसों द्वारा शासन के उन सभी आदेशों का पालन किया जा, जो शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा के संबंध में समय≤ पर निर्गत किये गये हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. मदरसे में मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली-1987 □□□ □□□□□- 1998, 2000 □□□2004 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्त हों।

5. मदरसों द्वारा मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली-1987 में प्राविधानित नियम-22 एवं अन्य सुसंगत नियमों/प्रविधानों तथ□ शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित □□□□हुए नियमानुसार अर्ह/पात्र शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के पद को केवल आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा।

6. प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों का अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु मानक एवं शर्तों के निर्धारण के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-2853/52-3-2014-□□(8)/2012, दिनांक 27.2.2015 की सम्मत शर्ते पूर्ण करता है, सुनिश्चित किया जायेगा।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संवितरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मदरसों द्वारा उल्लिखित शर्तों का पालन कर लिया □□□ □□ स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति संबंधी सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णरूपेण सुनिश्चित कराया जाय। किसी भी प्रकार के विचलन को तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। यदि संस्थायें उक्त निर्धारित शर्तो में से किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करनहीं करती □□□तो उसे स्वीकृत धनराशि का भुगतान न किया जाय और उसकी सूचना तुरन्त शासन को दी जाय। मानक के अनुसार एंव नियुक्ति के प्राविधानों के अनुरूप उपरोक्त मदरसे के शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों पर अनुमोदन प्रदान किया जाय। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि नियुक्तियों का अनुमोदन नियमानुसार हो। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सुसंगत नियमों एवं प्राविधानों के विपरीत हुए अवैध एवं अनियमित नियुक्तियों को अनुमोदित न किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही को शासन गम्भीरता से ले□□

4- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा मदरसों में की गयी नियुक्तियों के संबंध में मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली 1987 □□□ □□□□□ 1998, 2000 □□□ 2004 इस संबंध में समय≤ पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कराते हुए वेतन भुगतान किया जायेगा, इसमें किसी भी प्रकार के विचलन के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय व 2015-16 के आय व्ययक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-11-146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान-31-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□□) से वहन किया जायेगा।

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1194/दस-2015 दिनांक 05 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो) शफ्कत कमाल)
विशेष सचिव।

संख्या- 2634(1)/52-3-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. रजिस्ट्रार/निरीक्षक, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त एंव लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-11, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4, शिक्षा अनुभाग-5
6. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
7. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एंव शिक्षा निदेशक (बेसिक)।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ, उ0प्र0।
9. प्रबन्धक मदरसों के प्रबन्धक को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा।
10. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा) उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ को प्रश्नगत रिट याचिका सं0 4364(एस/एस)/10 एवं रिट सं04365 (एस/एस)/10 में मा) उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 29.05.2013 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।